पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-100

दिनांक-12.01.2025

- **वादिनी/पीडिता से दुष्कर्म करने व वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी शातिर वाछिंत अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 10.01.25 को वादिनी मुकदमा द्वारा वादिनी के साथ गलत कार्य करने व जान से मारने की धमकी देने व वीडियो बनाकर विडियो वायरल करने के संबन्ध में मु0अ0सं0 09/25 धारा 64(1)/351(2) बीएनएस 67/67ए आईटी एक्ट बनाम- राहुल मौर्य पुत्र शिव शंकर मौर्य निवासी - इटिहा चफरिया पोस्ट धर्मनपुर थाना रिसिया जनपद बहराइच के पंजीकृत किया गया।

जिसकी विवेचना नि0 श्री विश्वनाथ सिंह थाना बीबीडी लखनऊ द्वारा सम्पादित की जा रही थी। दिनांक-12.01.2025 को अभियुक्त राहुल उपरोक्त को नेडा मोड के पास थाना चिनहट से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02-अनावरित अभियोग का विवरणः-

01. मु0अ0सं0-09/25 धारा-64(1)/351(2) बीएनएस 67/67ए आईटीएक्ट थाना चिनहट जनपद लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. राहुल मौर्य पुत्र शिव शंकर मौर्य निवासी-इटिहा चफरिया पोस्ट धर्मनपुर थाना रिसिया जनपद बहराइच उम्र करीब 20 वर्ष

अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 धनंजय सिंह कोतवाली चिनहट लखनऊ
2. हे0का0 बृजेश कुमार कोतवाली चिनहट लखनऊ
3. का0 राजीव कुमार कोतवाली चिनहट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-99

दिनांक-12.01.2025

प्यार, साजिश और कत्ल: लखनऊ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का रहस्य सुलझाया

- ब्लाइंड मर्डर केस: सेन्ट्रल जोन पुलिस की सतर्कता और सुनियोजित जांच से बड़ा खुलासा
- थाना मदेयगंज पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस सुलझाया
- अभियुक्त आफताब अहमद ने प्रेमिका के पिता की हत्या की साजिश प्रेम संबंध के कारण रची थी
- 30 दिसंबर की रात टैक्सी चालक मोहम्मद रिजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी
- आरोपी ने यासिर और कृष्णकांत को दो लाख रुपये देकर हत्या के लिए किया था तैयार
- 29 दिसंबर को रेकी करने के बाद 30 दिसंबर की रात हत्या को अंजाम दिया गया
- पुलिस ने अवैध तमंचा, 14 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की।

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना मदेयगंज, लखनऊ पुलिस टीम ने शातिर अपराधियों द्वारा अंजाम दिए गए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी 12 जनवरी 2025 को सुबह करीब 6:50 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर की गयी।

घटनाक्रम के मुताबिक 30 दिसंबर 2024 की रात का है, जब एक अज्ञात व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह हत्या इरफान अली नामक व्यक्ति को निशाना बनाकर की गई थी, लेकिन गलती से किसी और की हत्या कर दी गई। जांच के दौरान मुख्य अभियुक्त, आफताब अहमद का नाम सामने आया, जिसने यह साजिश रची थी।

पूछताछ में अफताब अहमद,जो पेशे से अधिवक्ता है, ने बताया कि उसका अपनी पूर्व जूनियर अधिवक्ता के साथ प्रेम संबंध था। प्रेमिका की शादी के बाद उसके पति ने उन पर मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण आफताब ने प्रेमिका के पिता इरफान अली की हत्या कर प्रेमिका से दोबारा मिलने की योजना बनाई। ताकि अकेली बेटी होने के कारण प्रेमिका फिर से दिल्ली छोड़कर लखनऊ आकर रहने लगे। इस साजिश में उसने मो. यासिर और कृष्णकांत उर्फ साजन को शामिल किया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.104
दिनांक-12.01.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना- मलिहाबाद

- **ट्यूबबेल की एलटी लाइन ABC 7 पोल से बिजली की तार काटकर चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी की ट्यूबेल की लगभग 50 मीटर बिजली की तार व 01 अदद स्कूटी बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 11.01.2025 को वादी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार पुत्र रामविलास निवासी ग्राम नया खेडा मजरा हमिरापुर मलिहाबाद लखनऊ द्वारा निजी ट्यूबबेल की एलटी लाइन ABC 7 पोल से बिजली की तार काटकर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ले जाने की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 005/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त मुकदमे से सम्बन्धित माल मुल्जिमान की पतारसी सुरागरसी हेतु थाना मलिहाबाद पुलिस टीम क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुयी की दो लडके मधवापुर पुलिया के पास से एक मोटरसाइकिल से बिजली की तार लादकर ले जा रहे है।

इस सूचना पर विश्वास कर मौके पर पहुँचे तो स्कूटी होंडा एक्टिवा वाहन संख्या UP 32 LM 6940 जिस पर दो व्यक्ति सवार है तथा अपने साथ सरकारी बिजली का तार लगभग 50 मीटर रखे हुये है दोनों व्यक्तियों को रोका गया और उक्त तार के सम्बन्ध में पूछा गया तो कोई सन्तोषजनक जानकारी नही दे सके तत्पश्चात अभियुक्त 1. इनामुल पुत्र इकरामुल उर्फ कल्लू निवासी 391/361 दरियापुर आवास विकास कालोनी एफसीआई गेट के पास थाना तालकटोरा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष 2.साहिल पुत्र तजमुल निवासी हाल पता दरियापुर आवास विकास कालोनी एफसीआई गेट के पास थाना तालकटोरा लखनऊ व स्थायी पता ग्राम रमुआपुर थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर उम्र करीब 20 वर्ष के साथ जुर्म धारा से अवगत कराते हुये आज दिनांक 12.01.2025 को किया गया गिरफ्तार तथा अभियुक्तगण 1. इनामुल 2. साहिल उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है।

02-अपराध का उद्देशयः-

अभियुक्तो द्वारा ट्यूबबेल की एलटी लाइन ABC 7 पोल से बिजली की तार काटकर चोरी कर ले जाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. इनामुल पुत्र इकरामुल उर्फ कल्लू निवासी 391/361 दरियापुर आवास विकास कालोनी एफसीआई गेट के पास थाना तालकटोरा लखनऊ
2. साहिल पुत्र तजमुल निवासी हाल पता दरियापुर आवास विकास कालोनी एफसीआई गेट के पास थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ व स्थायी पता ग्राम रमुआपुर थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर उम्र करीब 20 वर्ष

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.106
दिनांक-12.01.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना- मानकनगर

- **01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना मानकनगर लखनऊ की पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गस्त/भ्रमण के दौरान दिनांक 12.01.2025 को एक अभियुक्त प्रकाश गिरि पुत्र कमलेश गिरि निवासी ग्राम सोनारीपुरथाना भीरा जनपद खीरी उ0प्र0 उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार कर कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर अवैध बरामद किया गया।

जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त प्रकाश गिरि उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0स0 04/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना प्रचलित है। तथा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है।

02-पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 04/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मानकनगर कमिश्नरेट लखनऊ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त की विवरण-

1- प्रकाश गिरि पुत्र कमलेश गिरि निवासी ग्राम सोनारीपुरथाना भीरा जनपद खीरी उ0प्र0 उम्र 26 वर्ष,

04-बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

05-अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	147/20107	379/411/420/467/468 भादवि	पलिया	खीरी
2	340/2019	379/411 भादवि	कोतवाली सदर	खीरी
3	349/2019	379/411 भादवि	कोतवाली सदर	खीरी
4	361/2019	379/411/413/414/420/467/468 भादवि	कोतवाली सदर	खीरी
5	887/2019	2/3 गैंगस्टर एक्ट	कोतवाली सदर	खीरी

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- SI श्री ज्ञानेश्वर सिंह
2- SI श्री सत्यम द्विवेदी
3- SI श्री सौरभ कुमार
4- हे0का0 श्री अलाउद्दीन, थाना मानकनगर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 107
दिनांक-12.01.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07/01/2025 को वादिनी द्वारा सूचना दिया गया कि वादिनी की पुत्री (बालिग) को शहीम पुत्र वसीम भगा ले गया है। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज लखनऊ में मु0अ0स0 05/25 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। दिनांक 11/01/2025 को पीड़िता की बरामदगी हुई। अभियुक्त फरार चल रहा था। आज दिनांक 12/01/2025 को अभियुक्त शहीम को किसान पथ से गांव पूरनपुर थाना मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया गया। जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शहिम पुत्र वसीम निवासी ग्राम पूरनपुर थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 05/25 धारा 87 बीएनएस थाना मोहनलालगंज लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अर्जुन सिंह
2. हे0का0 बच्चालाल पाल

04- बरामदगी का विवरण -

- चोरी गये 50 मीटर तार ।
- स्कूटी होंडा एक्टिवा वाहन संख्या UP 32 LM 6940

05.अभियुक्त इनामुल का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 61/2022 धारा 379/411 भादवि थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ
2.मु0अ0सं0 05/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ

06.अभियुक्त साहिल उर्फ खुजली का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 506/23 धारा 380/457/411 भादवि थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ
2.मु0अ0सं0 525/23 धारा 379/411 भादवि थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ
3.मु0अ0सं0 005/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ
4.मु0अ0सं0 05/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ

थाना स्थानीय की पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश चन्द्र साहू
2.वरि0उ0नि0 संजय यादव
3.उ0नि0 श्री विवेक कुमार
4.उ0नि0 श्री विन्ध्य यादव
5.उ0नि0 श्री अमन श्रीवास्तव
5.हे0का0 विनोद कुमार यादव